संख्याः– /XIV–1/2018–5(19)/2010 TC-I

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनांक 05 मार्च फरवरी, 2018

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के ब्याज की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–पी0 75/नियो0/सहभागिता/सामान्य/2017–18 दिनांक 04 जनवरी, 2018 एवं संख्या–पी0 862/नियो0/सहभागिता/सामान्य/2017–18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक **सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य)** के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृषियेत्तर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी0पी0एल0परिवारों के कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि **₹22.00 करोड़ (₹बाईस करोड़ मात्र)** के व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक कृषक/बैंकवार की गयी ब्याज की प्रतिपूर्ति का परीक्षण के उपरान्त ही भुगतान अनुमन्य होगा।

(2) राज्य सरकार के स्तर से देय ब्याज अनुदान की गणना भारत सरकार तथा नाबार्ड के स्तर से सस्ते ऋणों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का समायोजन करते हुए की जावेगी तथा उसी के अनुरूप सम्बन्धित बैंकों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त मांग प्रस्तुत करने तथा भुगतान किए जाने की स्थिति में बैंकों तथा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(3) योजनान्तर्गत पूर्व में बजट की सीमा से अधिक व्यय के उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत करायें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति का ब्यौरेवार सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(5) चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की सीमा के अधीन ही ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए व्यय/सब्सिडी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि भविष्य में अतिरिक्त देयता/व्ययभार की स्थिति उत्पन्न न हों।

क्रमशः

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017, एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनाक 30 जून, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। योजना के नियोजन विभाग से कराये गये मूल्यांकन अध्ययन की संस्तुतियों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(8) धनराशि का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–04–सहकारी सहभागिता योजना–00–50–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–198/XXVII-4/2017 दिनांक–27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 239 (1)/XIV–1/2018, तद्दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, कौलागढ, देहरादून।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूं/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
9. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
10. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।